न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 259 / 2018
RCMS No. : 2018/00334

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 सुजाराम पुत्र भुराराम जाति माली, मैसर्स नर्मदा डेयरी, केनपुरा रोड़, एच.पी. पेट्रोल पम्प के सामने, रानी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/12/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा। इस कारण प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती हैं। प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित हैं। दिनांक 14.10.2017 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स नर्मदा डेयरी, केनपुरा रोड़, एच.पी. पेट्रोल पम्प के सामने, रानी से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां आम जन को बिक्री हेतु रखे हुए 50 किलो खोया में से एक किलो खोया को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सामग्री को प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए पृथक पृथक भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–707 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खोया को अवमानक होना जाहिर किया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standard स्तर के खोया का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.10.2017 को अप्रार्थी की फर्म से खोया को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–707 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1070/एक्ट/2017/1070 दिनांक 16.11.2017 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–707 को Substandard माना है। पत्रावली के दस्तावेजात् से परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि मौका फर्द के अनुसार प्राथी द्वारा दिनांक 14.10.2017 को जो सैम्पल लिया गया है, वह अप्रार्थी की फर्म से लिया गया है, जो नमूना कोड संख्या आर–707 अंकित करते हुए उक्त सैम्पल को खाद्य विश्लेषक को वास्ते जांच भिजवाया गया है। इस सम्बन्ध में जो दस्तावेजात् यथा मौका फर्द आदि पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, जिसको न मानने का कोई यथोचित कारण नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अप्रार्थी की फर्म द्वारा विक्रय किए जा रहे खोया (मावा) को Sub Standard/does not confrom स्तर का माना हैं, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का उल्लंघन होकर इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्ड योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Substandard स्तर के खोया का विक्रय/भण्डारण करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी एवं अप्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली